तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मंगलाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 169/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.20	अपीलार्थी मंगलाराम, पता बेनिवाल भवन, प्लॉट नं.4, महेश नगर, शिव कॉलानी, लालसागर, मण्डोर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.08.2020 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा कमांक/प्र.सं. 2789 दिनांक 19.12.1989 प्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र फुसाराम कच्छावाह के नाम से गांव मण्डोर ख.नं. 1880 में से प्लॉट संख्या 466 से 470 का 694 वर्गगज का जारी किया था, यह आपके कार्यालय के रेकर्ड में जमा करवाया गया/उपलब्ध है तो पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ–साथ साथ में लगे आवेदन पत्र, नक्शा और चालान शुल्क के पृष्ठों की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) /प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested